

1. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान।
2. आयुक्त/अधिकाारी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।

विषय:-मुख्य सचिव महोदया की समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिनांक 28 जनवरी 2023।

प्रसंग:-विभागीय समसंख्यक पत्रांक 128881-29128 दिनांक 27.12.2022 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र (प्रतिलिपी सलंगन) के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत स्थायी प्रकृति के कार्यों हेतु प्रत्येक निगम/परिषद/पालिकाओं को निम्नलिखित कार्य के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे।

1. पार्को का पुनरूद्धार।
2. श्मशान/कब्रिस्तान का पुनरूद्धार।
3. बावड़ी एवं जलाशय का पुनरूद्धार।
4. पेंटिंग (शहर की मुख्य सड़क की मीडियन या रोड़ साईड, दीवारों की हैरिटेज पेंटिंग इत्यादि) संबंधी कार्य।
5. इंटरलॉकिंग संबंधी कार्य।
6. खेल मैदान एवं स्टेडियम का पुनरूद्धार।

उक्त कार्यों के लक्ष्यों का आवंटन किया जाकर दिनांक 01.01.2023 से मस्टरोल जारी कर कार्यों को प्रारम्भ करवाये जाने के निर्देश दिये गये थे। उपरोक्त क्रम में माननीय मुख्य सचिव महोदया द्वारा दिनांक 28.01.2023 को समीक्षात्मक बैठक में आपके जिले में स्थायी प्रकृति के कार्यों हेतु आवंटित लक्ष्यों के विरुद्ध जारी की गयी स्वीकृतियां एवं प्रारम्भ कराये गये कार्यों के क्रम में विशेष रूप से समीक्षा की जावेगी अतः निकाय स्तर पर स्थायी प्रकृति के स्वीकृत, प्रारम्भ करवाये गये कार्यों की सूचना दिनांक 26.01.2023 को आवश्यक रूप से सांय 6:00 बजे तक इस पत्र के साथ साझा की जा रही गुगल ड्राईव पर भरवाकर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

गुगल ड्राईव लिंक :-

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VDHOIF9R5QJXWUT1bARjr7JWOpDrAY8VUzq485FV7Qo/edit?usp=sharing>

सलंगन:-उपरोक्तानुसार।

(हवेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

दिनांक: 25/01/2023

क्रमांक:एफ.56(क)सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/1138-1172

प्रतिलिपी:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, समस्त राजस्थान।

परियोजना निदेशक (IRGY-U)

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

भीम

जी 3 राजस्थान रेजीलेंसी एरिया सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।
Tlx 0141 2222403 2222469 I mail ID : dlbrajasthan@gmail.com Website : www.isg.urban.rajasthan.gov.in
कमांक एफ 56 (क-1)सीई/डीएलसी/IRGY(U)/2022-23/128881-29128

दिनांक 27/10/2022

उपनिदेशक (क्षेत्रीय),
समस्त राजस्थान।

आयुक्त/अधिसाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय:-इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत स्थायी प्रकृति के कार्यों हेतु लक्ष्यों का आवंटन।

संदर्भ:-विभागीय समसंख्यक कमांक 42723-947 दिनांक 31.05.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत निम्नानुसार स्थायी प्रकृति के कार्यों को वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किया जाकर क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर वीसी के द्वारा निर्देश दिये गये है। उक्त क्रम में निगम/परिषद/पालिका में निम्नानुसार कार्यों को क्रियान्वयन कराये जाने हेतु लक्ष्यों का आवंटन किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि कार्यों की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति अविलंब जारी की जाकर दिनांक 01.01.2023 से कार्यों हेतु मस्टररोल जारी करवाकर कार्यों को प्रारंभ किया जावे।

क्र. सं.	कार्य का नाम	आवंटित लक्ष्य			सम्मिलित की जाने वाली गतिविधियां
		निगम	परिषद	पालिका	
1	पार्कों का पुनरुद्धार (Renovation)	प्रत्येक में 15	प्रत्येक में 10	प्रत्येक में 5	चार दीवारी मरम्मत (पोइंटिंग एवं प्लास्टर कार्य, कॉपिंग कार्य), रिवाँल्विंग गेट, वॉकिंग ट्रैक, वृक्षारोपण, लॉन इत्यादि कार्य
2	श्मशान/कब्रिस्तान का पुनरुद्धार (Renovation)	प्रत्येक में 10	प्रत्येक में 6	प्रत्येक में 3	चार दीवारी मरम्मत (पोइंटिंग एवं प्लास्टर कार्य, कॉपिंग कार्य), रिवाँल्विंग गेट, वॉकिंग ट्रैक, सीटिंग बेंच, वृक्षारोपण, शेड मरम्मत, चबूतरा, पेयजल, शौचालय इत्यादि कार्य
3	वावड़ी एवं जलाशय का पुनरुद्धार (Renovation)	प्रत्येक में 5	प्रत्येक में 3	प्रत्येक में 2	वावड़ी एवं जलाशय मरम्मत, गाद निकालना, आवश्यकतानुसार सीढियों की मरम्मत एवं नवीन निर्माण, सुरक्षा दीवार व अतिरिक्त जल की निकास हेतु प्रबंधन संबंधी कार्य
4	पेंटिंग (शहर की मुख्य सड़क की भीडियन या राड साईड, दीवारों की हैरिटेज पेंटिंग इत्यादि) संबंधी कार्य।	प्रत्येक में 15	प्रत्येक में 10	प्रत्येक में 5	मुख्य सड़क की भीडियन या रोड साईड एवं प्रमुख सार्वजनिक स्थलों की दीवारों की पेंटिंग एवं हैरिटेज पेंटिंग संबंधी कार्य

hss

क. सं.	कार्य का नाम	आवंटित लक्ष्य			सम्मिलित की जाने वाली गतिविधियां
		निगम	परिषद्	पालिका	
5	इंटरलॉकिंग संबंधी कार्य	प्रत्येक में 10	प्रत्येक में 5	प्रत्येक में 2	मुख्य सड़क पर जहां पानी का भराव हो एवं आवश्यकतानुरूप इंटरलॉकिंग टाइल्स का निर्माण एवं सड़कों के दोनों किनारों पर एक-एक मीटर चौड़ाई में इंटरलॉकिंग कार्य कराया जाना
6	खेल मैदान एवं स्टेडियम का पुनरुद्धार (Renovation)	प्रत्येक में 5	प्रत्येक में 3	प्रत्येक में 2	चार दीवारी मरम्मत (पोइंटिंग एवं प्लास्टर कार्य, कॉपिंग कार्य), रिवाइलिंग गेट, वॉकिंग ट्रैक, वृक्षारोपण, लॉन इत्यादि एवं संबंधी कार्य

पूर्व में जारी विभागीय दिशा निर्देश दिनांक 23.05.2022 में स्थायी प्रकृति के कार्यों के लिए श्रम एवं सामग्री का अनुपात 25:75 निर्धारित रखा गया है परन्तु निकाय स्तर पर सभी प्रकार के कार्यों को सम्मिलित करते हुए कुल अनुमत लागत (As a Whole) का श्रम व सामग्री अनुपात 75: 25 प्रतिशत ही संघारित किया जायेगा।



(डॉ. जोगाराम)
शासन सचिव

क्रमांक:एफ.56(क)0सीई/डीएलवी/IRGY(U)/2022-23/129123-17/ प्रतिलिपी:-

दिनांक: 27/12/2022

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला कलक्टर (जिला परियोजना समन्वयक), राजस्थान।
3. मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशोषी अभियन्ता, नगर निगम (संभाग मुख्यालय), राजस्थान को उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित किये जाने के क्रम में।
5. सुरक्षित पत्रावली।



निदेशक एवं संयुक्त सचिव